

प्रेस नोट- कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 17.02.2026

एसओजी/सर्विलांस/कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को एक तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस व कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 350/25 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण 01.विकल उर्फ विकल्ले पुत्र आदेश राजपूत 02.सनी उर्फ दीपक राजपूत पुत्र दीप सिंह को मुखबिर की सूचना पर 01 तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

01. विकल उर्फ विकल्ले पुत्र आदेश राजपूत निवासी ग्राम साहिबाबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
02. सनी उर्फ दीपक राजपूत पुत्र दीप सिंह निवासी हरसिंहपुर थाना अलीगंज जनपद एटा ।

घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 24.12.2025 को ग्राम मई रशीदपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ निवासी सोवरन सिंह पुत्र सियाराम जो कि मजदूरी करता था की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके संबन्ध में कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 350/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसके अनावरण के संबन्ध में जनपदीय एसओजी/सर्विलांस टीम तथा कोतवाली कायमगंज की टीम द्वारा विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1.विकल उर्फ विकल्ले उपरोक्त 2.सनी उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर 01 तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01अभियुक्त जबर सिंहपुत्र मेवाराम नि0 ग्राम रसूलपुर थाना नवाबगंज फरार है। अभियुक्त जबर सिंह उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त विकल उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै और मेरा साथी जबर सिंह कभी-कभी हरसिंहपुर थाना अलीगंज जनपद एटा में रहने वाले दफेदार के घर पर जाते थे और रात्रि में वहाँ रूकते भी थे, उसी गाँव में सनी उर्फ दीपक जो की हलवाई का काम करता है, वो भी हम लोगों से मिलने आता था। दिनांक 24.12.2025 को मैं, जबर सिंह तथा सनी एक मोटरसाइकिल से जबर सिंह के भाई की लड़की की शादी में खाने का सामान लेने जा रहे थे। रास्ते में ग्राम रसूलपुर की ओर जाने वाले रोड पर पहुँचे तो सामने से एक साइकिल सवार लहराता हुआ आ रहा था, उसकी साइकिल का पहिया मेरी मोटर साइकिल के अगले पहिये से टकराया तो उसने गाली दी तो जबर सिंह ने भी उसको गालियाँ दी। जबर सिंह तथा वह व्यक्ति दोनों शराब के नशे में थे तभी उस व्यक्ति ने जबर सिंह को बेटी की गाली दे दी। इसी बात पर गुस्से में जबर सिंह ने अपने पास रखे तमंचे से उस व्यक्ति की कमर में गोली मार दी जिससे वह व्यक्ति गिरा और फिर उठा और वह जबर सिंह की तरफ आया तभी जबर सिंह ने सामने से उसे दूसरी गोली मार दी थी। हम तीनों ने उस व्यक्ति को रास्ते से उठाकर झाड़ियों में डाल दिया था।

बरामदगी का विवरण-

01. 01 देशी तमंचा 315 बोर
02. 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
03. 01 मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर (सीज)

अभियुक्त विकल उर्फ विकल्ले उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 350/25 धारा 103(1) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ।

अभियुक्त सनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 350/25 धारा 103(1) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम

01. प्र०नि० श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
02. निरीक्षक श्री सुरजीत सिंह
03. उ०नि० श्री जगदीश वर्मा
04. हे०का० रत्नेश कुमार
05. हे०का० धर्मेन्द्र तिवारी
06. का० आर्य चौधरी
07. का० विनीत

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम:-

1. उ०नि० श्री सचिन सिंह चौधरी (प्रभारी एसओजी)
2. हे०का० करन यादव
3. हे०का० तेजप्रताप
4. हे०का० जितिन त्रिपाठी
5. का० दिव्यांशु
6. का० सौरभ धीमान
7. का० धर्मेन्द्र सिंह
8. का० विकास चन्द्र
9. मु०आ०चा० चंद्रशेखर

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीम:-

1. उ०नि० श्री सन्तकुमार (प्रभारी सर्विलांस टीम)
2. क०ऑ० अमित शर्मा
3. हे०का० संदीप राव
4. हे०का० अनुराग कुमार
5. हे०का० सचेंद्र सिंह
6. हे०का० मयंक दीप
7. का० राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 17.02.2026



थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा दिनांक 17.02.2026 को रात्रि चौकंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक युवक के कब्जे से 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 39/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आनन्द कुमार मिश्रा पुत्र अमर नाथ मिश्रा निवासी बमरौली मिश्रन पूर्वा थाना सवायजपुर जनपद हरदोई पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

01. एक देशी तमंचा
02. 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर

अभियुक्त आनन्द कुमार मिश्रा उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 39/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

